एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या **634/2005**

अपीलार्थी**:-(**कारागार में**):**
संतोष, आत्मज- मोहन लाल साहू, आयु लगभग 35 वर्ष, ग्राम- ओरछा कॉलोनी नवागाँव, थाना- ओरछा जिला- छतरपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी**:**
छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा:- थाना प्रभारी, थाना- धमतरी, जिला- धमतरी (छ.ग.),

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **374 (2)** के अंतर्गत अपील का ज्ञापन।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील संख्या **634/2005**

संतोष
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 13.02.2006 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील संख्या **634/2005**

संतोष

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

उपस्थिति:
अपीलार्थी की ओर से श्री शैलेंद्र दुबे, विद्वान अधिवक्ता के साथ श्री वाई.सी. शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, ।
राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता के साथ श्री यू.के.एस. चंदेल, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय
(आज दिनांक 13 फरवरी 2006 को पारित किया गया)

यह अपील श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण संख्या 3/2002 में पारित निर्णय दिनांक 1.8.2005 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(ii) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 28.12.2001 को अपीलार्थी के कब्जे में गांजा होने की गुप्त सूचना प्राप्त होने पर, भारती सोरी, पी.एस.आई. थना अर्जुनी ने बस स्टैंड धमतरी के पास अपीलार्थी की तलाशी ली। अपीलार्थी के पास एक एयर-बैग था। आवश्यक विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, एयर-बैग की तलाशी ली गई। उसमें गांजा जैसा पदार्थ पाया गया, जिसका तौल करने पर वह 4 किलोग्राम

पाया गया। इसमें से 100-100 ग्राम के दो नमूने तैयार कर सीलबंद किए गए। शेष 3 कि.ग्रा. 800 ग्रा. गांजा भी सीलबंद किया गया। बैग और नमूने के दो पैकेट सुरक्षित अभिरक्षा हेतु मुख्य आरक्षी जीवनलाल रात्रे (अ.सा.-6) को सौंपे गए और उन्हें दिनांक 31.12.2001 को पुलिस अधीक्षक धमतरी के ज्ञापन के माध्यम से आरक्षी विट्ठल राम के द्वारा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) भेजा गया। एफ.एस.एल. ने अंतर्वस्तुओं के परीक्षण के पश्चात यह मत व्यक्त किया कि बैग और नमूने के पैकेटों में गांजा था। अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात्, अपीलार्थी पर अधिनियम की धारा 20(ख) के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया। अभियुक्त को अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(i) के अंतर्गत आरोपित किया गया [खंड (i) किसी भी गांजा के पौधे की खेती से संबंधित उल्लंघन से संबंधित है।]

3. अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोष स्वीकार करने से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और प्रतिवाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन ने कुल 6 साक्षियों का परीक्षण कराया। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई थी। विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(ii) [आरोप अधिनियम की धारा 20(ख)(i) के अंतर्गत था] के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उसे कण्डिका 1 में यथाउल्लिखित अनुसार दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र दुबे ने आक्षेपित निर्णय को केवल इस आधार पर चुनौती दी है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट के प्रमाण के अभाव में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हुआ कि अपीलार्थी से जब्त किया गया पदार्थ, यदि कोई हो, गांजा था। केवल इसी आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार था। इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया, यद्यपि औपचारिक रूप से।

5. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात् और विशेष प्रकरण संख्या 3/2002 के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात्, यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(ii)(ख) के अंतर्गत दोषसिद्धि को

बनाए रखने के लिए, अभियोजन को निर्विवाद रूप से यह स्थापित करना होगा कि अपीलार्थी से जब्त किया गया पदार्थ गांजा था। यह सत्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अंतर्गत, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक रसायनिक परीक्षक की रिपोर्ट, यदि अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत की जाती है, तो उसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकरण में, एफ.एस.एल. की रिपोर्ट अभियोजन द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतएव, इसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। एफ.एस.एल. की अप्रदर्शान्कित रिपोर्ट दिनांक 14.1.2002 का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि पैकेटों की स्थिति और उन पर लगाई गई सील से संबंधित अंश लुप्त है। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट का वह हिस्सा भी लुप्त है जो नमूना प्राप्त होने की तिथि को इंगित करता। अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अंतर्गत अभियोजन में, अभियोजन को यह भी निर्विवाद रूप से स्थापित करना आवश्यक है कि एफ.एस.एल. द्वारा परीक्षित पदार्थ वही था जो अपीलार्थी से जब्त किया गया था। उसे यह भी स्थापित करना होगा कि पदार्थ बिना किसी अस्पष्टीकृत विलम्ब के एफ.एस.एल. में प्राप्त हुआ था ताकि नमूने के साथ किसी भी छेड़छाड़ की संभावना को नकारा जा सके। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह आवश्यक नहीं समझा कि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट को अभियोजन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अनुसार साक्ष्य में प्रस्तुत और प्रदर्शांकित किया जाना चाहिए। उन्होंने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण के दौरान एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के संबंध में उससे प्रश्न पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट रूप से विधि की इस आवश्यकता की उपेक्षा की और प्रकरण के अवलोकन पर कण्डिका 17 में यह टिप्पणी की कि यह सिद्ध हो चुका है कि नमूना एफ.एस.एल. भेजा गया था जिसने यह मत दिया था कि नमूने में गांजा था। इस प्रकार अभियुक्त-अपीलार्थी को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक रासायनिक परीक्षक से प्रतिपरीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट न तो अभियोजन द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी और न ही धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसे बताई गई थी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य में एफ.एस.एल. की रिपोर्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(ii)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधिक दृष्टि में स्थिर नहीं रह सकती क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के अभाव में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी से जब्त पदार्थ गांजा था।

6. स्वतंत्र साक्षी दया शंकर (अ.सा.-3) और राजकुमार (अ.सा.-4) भी पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे से 4 कि.ग्रा. गांजा पाया गया था जिसमें से 100-100 ग्राम के 2 नमूने लिए गए और सीलबंद किए गए थे। तथापि, मुख्य आरक्षी जीवन लाल रात्रे (अ.सा.-6) का परिसाक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि थाना कोतवाली, धमतरी के थाना प्रभारी ने उन्हें 4 कि.ग्रा. गांजा वाला एक सीलबंद पैकेट और 100-100 ग्राम गांजा वाले दो बिना सील वाले कपड़े के बैग दिए थे। इस तथ्य की संपुष्टि मुख्य आरक्षी रमेश साहू (अ.सा.-5) द्वारा भी की गई है। यह अधिनियम की धारा 55 के अधिदेश का पूर्णतः अनुपालन न होना दर्शाता है जिसमें संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपे गए सीलबंद नमूनों और पैकेट पर अपनी सील लगाना अपेक्षित है। उपरोक्त परिस्थितियों में, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नमूना एफ.एस.एल. भेजा गया था, उसमें छेड़छाड़ की गई थी और यह वह पदार्थ नहीं था जो अभियुक्त/अपीलार्थी से जब्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(ii) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अधीन अधिरोपित दण्डादेश विधिक दृष्टि में स्थिर नहीं रह सकता।

7. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है और अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 20(ख)(ii) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा अधिरोपित दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को तत्काल मुक्त किया जाए, यदि वह किसी अन्य प्रकरण में अपेक्षित न हो। अर्थदण्ड, यदि संदत्त किया गया हो, तो अपीलार्थी को वापस किया जाएगा।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur